

**COUNCIL OF SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL RESEARCH
ANUSANDHAN BHAWAN, 2, RAFI MARG, NEW DELHI – 110001**

F.No. 17-02(02)/50/HR-III/CHS

Dated: 07th March, 2024

OFFICE MEMORANDUM

Sub : Revised composition of Internal Committee (IC) for redressal of complaints pertaining to sexual harassment at workplace against Directors/Chief Scientists in CSIR Laboratories/Institutes- reg.

Ref: 1. CSIR OM No. 17-02(02)/5/2017/HR-III/CHS dated 27.04.2022
2. CSIR OM No. 17-02(02)/50/HR-III/CHS dated 14.09.2023

The Hon'ble Vice-President, CSIR on behalf of President, CSIR has been pleased to nominate Dr. Lalita Goyal, Chief Scientist, TMD, CSIR Hqrs. as a member of the Internal Committee w.e.f 18.03.2024 for redressal of complaints pertaining to sexual harassment at workplace against Directors/Chief Scientists in CSIR Laboratories/Institutes, in place of Dr. Viswajanani J Sattigeri, Outstanding Scientist & Head, TKDL, CSIR Hqrs. who will complete her tenure as IC member on 17.03.2024.


Accordingly, the composition of Internal Committee notified vide CSIR OM dated 27.04.2022 will stand partially modified w.e.f 18.03.2024 as under:-

S. No.	Name & Designation	Role in the IC
1.	Tmt. S Madumathi, IAS, Managing Director, TANSIDCO, Chennai	Presiding Officer [^]
2.	Prof. (Dr.) Venugopal Achanta, Director, CSIR-National Physical Laboratory (CSIR-NPL), New Delhi.	Member *
3.	Dr. Lalita Goyal, Chief Scientist, TMD, CSIR Hqrs.	Member
4.	Dr. Sohini Bannerjee, LLM, Guest Lecturer, Department of Law, University of Calcutta, Kolkata	Member*

[^] Presiding officer nominated vide CSIR OM No. 17-02(02)/5/2017/HR-III/CHS dated 27.04.2022.

* Member nominated vide CSIR OM No. 17-02(02)/5/2017/HR-III/CHS dated 07.12.2021.

As per clause 3 of Section 4 of the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition & Redressal) Act, 2013, the Presiding Officer and every member of the committee shall hold office for such period not exceeding three years from the date of nomination.


(Anita Singh) 07/03/2024
Deputy Secretary, HR (III)

Copy to:

1. The Presiding Officer and Members of the Internal Committee.
2. Head, IT Division – with the request to host the OM on CSIR website.
3. Office copy.

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद
अनुसंधान भवन, 2, रफ़ी मार्ग, नई दिल्ली - 110001

फा.सं. 17-02(02)/50/एचआर-III/सीएचएस

दिनांक : 07 मार्च, 2024

कार्यालय ज्ञापन

विषय: सीएसआईआर प्रयोगशालाओं/संस्थानों में निदेशकों/मुख्य वैज्ञानिकों के विरुद्ध कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए आंतरिक समिति (आईसी) की संशोधित संरचना विषयक ।

संदर्भ: 1. सीएसआईआर का दिनांक 27.04.2022 का का.ज्ञा. सं.17-02(02)/5/2017/एचआर- III/सीएचएस
2. सीएसआईआर का दिनांक 14.09.2023 का का.ज्ञा. सं.17-02(02)/50/एचआर-III/सीएचएस

माननीय उपाध्यक्ष, सीएसआईआर ने अध्यक्ष, सीएसआईआर की ओर से डॉ. ललिता गोयल, मुख्य वैज्ञानिक, टीएमडी, सीएसआईआर मुख्यालय को दिनांक 18.03.2024 से सीएसआईआर मुख्यालय में उत्कृष्ट वैज्ञानिक और प्रमुख, टीकेडीएल, डॉ. विश्वजननी जे सत्तीगेरी, जो दिनांक 17.03.2024 को आईसी सदस्य के रूप में अपना कार्यकाल पूरा करेंगी, के स्थान पर सीएसआईआर प्रयोगशालाओं/संस्थानों में निदेशकों/मुख्य वैज्ञानिकों के विरुद्ध कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए आंतरिक समिति के सदस्य के रूप में नामित किया है ।

तदनुसार, सीएसआईआर के दिनांक 27.04.2022 के का.ज्ञा. द्वारा अधिसूचित आंतरिक समिति की संरचना दिनांक 18.03.2024 से आंशिक रूप से निम्नानुसार संशोधित होगी :-

क्र.सं.	नाम एवं पदनाम	आईसी में भूमिका
1.	श्रीमती एस मद्रुमथी, आईएएस, प्रबंध निदेशक, टैनसिडको, चेन्नै ।	पीठासीन अधिकारी*
2.	प्रो. (डॉ.) वेणुगोपाल अचंता, निदेशक, सीएसआईआर-राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला (सीएसआईआर-एनपीएल), नई दिल्ली ।	सदस्य
3.	डॉ. ललिता गोयल, मुख्य वैज्ञानिक, टीएमडी, सीएसआईआर मुख्यालय ।	सदस्य
4.	डॉ सोहिनी बनर्जी, एलएलएम, अतिथि प्रवक्ता, विधि विभाग, कलकत्ता विश्वविद्यालय, कोलकाता	सदस्य

^ पीठासीन अधिकारी सीएसआईआर के दिनांक 27.04.2022 के कार्यालय ज्ञापन सं.17-02(02)/5/2017/एचआर III/सीएचएस द्वारा नामित ।

* सदस्य सीएसआईआर के दिनांक 07.12.2021 के कार्यालय ज्ञापन सं.17-02(02)/5/2017/एचआर-III/सीएचएस द्वारा नामित ।

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 की धारा 4 के खंड 3 के अनुसार, पीठासीन अधिकारी और समिति का प्रत्येक सदस्य नामांकन की तारीख से तीन वर्ष से अधिक पद पर नहीं रहेंगे ।


(अनीता सिंह)

उप सचिव, मानव संसाधन (III)

प्रतिलिपि:

1. आंतरिक समिति के पीठासीन अधिकारी एवं सदस्य ।
2. प्रमुख, आईटी प्रभाग – इस का.ज्ञा. को सीएसआईआर की वेबसाइट पर उपलब्ध कराए जाने के अनुरोध सहित।
3. कार्यालय प्रति ।